न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 63/2022 बउनवानी मोहम्मद मुस्लिम बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपु पुत्र श्री अलाउद्दीन, जाति मुसलमान निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/111

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 28.5..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी द्वारा राजस्व हल्का पटवारी सूरवाल मे स्थित सिवायचक भूमि ख0न0 2804 को गैर कानूनी तरीके से हडपने के लिय मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हनीस पुत्रान रहमान निवासी सूरवाल द्वारा लट्ट के जोर पर सरसों व गेंहू की फसल बो कर किये गये अतिक्रमण को आम जनता व पशुओ के हित के लिए आरक्षित सिवायचक भूमि को तत्काल बेदखल करवाने हेतु श्रीमान जिला कलेक्टर को सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण संख्या 022207812039496 दिनांक 2.3.2002, 032207812084354 दिनांक 7.3.2022, 032207812084354 दिनांक 7.3.2022, 3220781217839 दिनांक 10.3.202, 032207812107839 दिनांक 19.4.2022 लिखित शिकायती परिवाद प्रस्तुत किया गया था
2. उक्त बिन्दु संख्या 1 पर दर्ज शिकायत/परिवाद की कार्यवाही के दौरान संबंधित जॉच अधिकारी हल्का पटवारी गिरदावर तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपनी ओर से सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समाधान कराने के लिए जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमे बार–बार यह लिखा जा रहा है कि मौके पर अतिक्रमण 90 बी की कार्यवाही के जरिये बेदखल कर हटा दिया गया है ।
3. हल्का पटवारी गिरदावर व तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित मामले मे 90 बी की कार्यवाही के दौरान जो कानूनी. दायरे में अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जाती है उसके तहत मौके पर अवैध अतिक्रमण जो गेंहू सरसों की फसल बो कर किया गया है उसको बेदखल करते समय कार्यालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से जो टीम गठित कर मौके पर भेजी गयी उससे संबंधित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे कि टीम में कितने सदस्य उपस्थित हुए उनके नाम पते पद सहित सूचना देवे साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए उपयोग मे लिये गये संसाधनो की प्रमाणित सूचना मय रिकार्ड के पत्र कमांक दिनांक सहित उपलब्ध करवायी जावे।
4. उक्त अतिक्रमण को बेदखल करने पहुॅची टीम द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट जो विपक्षीयो की मोजूदगी मे जो कानूनी कार्यवाही की गयी प्रकिया के तहत तहसीलदार सवाईमाधोपुर के नाम प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे तहसीलदार द्वारा उक्त बेदखली रिपोर्ट को प्राप्त होने के बाद स्वंय के न्यायालय मे जो सुनवायी करके निर्णय फरमाया जाता है उसके तहत तहसीलदार द्वारा 90 बी की कार्यवाही मे 90 दिवस का करावास से दण्डित करने का प्रावधान राज्य सरकार की ओर से बना रख है उसकी पालना अनुसार जो तहसीलदार की ओर से निर्णय पारित किया गया है तो उसकी प्रमाणित सूचना [illegible]
5. तहसीलदार के निर्णय के उपरा[illegible]विल कारावास 3 माह का दण्डित किया जाता है उसे कानूनी [illegible]लदार की ओर से अतिक्रमी को मौके से हमेशा [illegible] लिए बेदखल क[illegible] लिए संबंधित थाने के नाम गिरफ्तारी वारण्ट भेजा जाता है [illegible] प्रमाणित सूचना देवे।
6. उक्त प्रकरण मे जो सम्पर्क पर विभि[illegible]तिथियो को जरिये शिका[illegible]वाद दर्ज करवाये गये उनकी आवेदक द्वारा पूर्व सूचना चाही गयी थी जिसे दिनांक 27.5.2022 को कुल 5 पृष्टिया सूचना आवेदक को जारी की गयी है वो साफ नही है। पुनः साफ सुथरी फोटो प्रतियो उपलब्ध करावे। शिकायत के समाधान हेतु तहसीलदार की ओर से की गयी अलग अलग परिवादों की संबंधित हल्का पटवारी गिरदावर की ओर से प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट जो तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा उच्चाधिकारियों की भेजी गयी है उसकी प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/राजस्व/2022/1819–20 दिनांक 25.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1818 दिनांक 25.7.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा उसको भिजवायी गयी सूचना पर आपत्ति पेश कर निवेदन किया गया कि दिनांक 22.3.2022 को ख0न0 2804 पर से बेदखली से संबंधित 91 की कार्यवाही का रिकार्ड पूरी तरह फर्जी एवं बनावटी है। प्रार्थी ने बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (वाके ग्राम सूरवाल के ख0न0 2804 पर से अतिक्रमण हटवाने के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1818 दिनांक 25.4.2022 से अपीलान्ट को भिजवाते हुए सूचना की एक प्रति इस न्यायालय को भिजवायी गयी है जिसमे आदेश दिनांक 513–15 दिनांक 11.3.2022 जिसके द्वारा विवादित ख0न0 पर से दिनांक 22.3.2022 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने बाबत निर्देश जारी किये गये है तथा 91 मे दर्ज प्रकरण संख्या 2/2022 उनवानी सरकार बनाम हनीफ,अनीस मे पारित निर्णय दिनांक 15.2.2022 की प्रति अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 22.3.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति भी अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:31:48 IST
Reason: SelfAttested